न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी:– डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 58/2015

सुरेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश गोदारा जाति बिश्नोई साकिन 3 आई एस डब्ल्यू बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। —अपीलांट

बनाम

1. पेमाराम पुत्र रामकिशन सुथार निवासी 3 आई एस डब्ल्यू बी तहसील रायसिंहनगर।
2. डूंगरराम पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल निवासी 24 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू राजस्व अधि. 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर दिनांक 23.03.2015

उपस्थिति–

श्री हेतराम बिश्नोई अभिभाषक अपीलांट

श्री हरपाल सूदन अभिभाषक रेस्पों. सं. 1

श्री सतपाल बिश्नोई अभिभाषक रेस्पों. सं. 2

निर्णय दिनांक– 19/7/19

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष एक प्रा.पत्र पेश कर चक 3आई.एस.डब्ल्यू.बी में मु.नं. 189/356 में कि.नं. 1 व 2 में चालू रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया।

(A) प्रा.पत्र पर तहसीलदार रायसिंहनगर से रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली 05.02.2002 को कायम की गई।

(B) सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 05.06.2002 को अधी. न्यायालय ने आवेदित रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये।

(C) उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील सं. 168/2002 पेमाराम बनाम सुरेन्द्र कुमार पेश होने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.06.2003 को अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया।

(D) प्रकरण रिमाण्ड होने पर अधी. न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात प्रा.पत्र दिनांक 23.03.2015 को खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(a) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आदेश दिनांक 05.06.2002 की पालना में अपीलांट ने मुआवजा राशि तहसीलदार के समक्ष जमा करवा दी है। अपीलांट को अपनी भूमि में आने जाने हेतु अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधी. न्यायालय ने बिना किसी आधार के प्रा.पत्र खारिज कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए आवेदित रास्ता स्वीकृत किया जावे।

(b) विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने कथन किया कि अपीलांट विवादित भूमि का खातेदार नहीं है। इसीलिए वह रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नहीं है। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया, अधी. न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.03.2015 का परिशीलन किया।

(a) अधी. न्यायालय का निर्णय सकारण व स्पीकिंग नहीं है। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 05.06.2002 द्वारा उक्त रास्ता स्वीकृत करने का आदेश दिया गया था।

(b) जिसकी अपील होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा उक्त आदेश निरस्त करते हुए मामला पुनः सुनवाई कर निर्णय दिनांक 25.06.2003 द्वारा निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया।

(c) जिसे 2004 में पुनः दर्ज किया गया तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा सुनवाई कर दिनांक 23.03.2015 के आदेश द्वारा रास्ता मंजूरी का प्रा.पत्र खारिज कर दिया गया। इसप्रकार यह रिमाण्ड प्रकरण 2004 में दर्ज होकर 2015 में निरस्त हुआ जिसकी पुनः अपील 13.04.2015 को हुई। तब से यह प्रकरण लम्बित रहा है। इस प्रकार रास्ते जैसा संवदेनशील मामला 17 वर्षों से लम्बित रहा।

(d) इस मामले में अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह प्रकरण सर्वप्रथम 05.02.2002 को तहसीलदार की रिपोर्ट पर रास्ता दर्ज (राजस्व रिकार्ड) करने की अनुशंषा पर दर्ज हुआ था, जो वस्तुतः प्रार्थी सुरेन्द्र कुमार (अपीलांट) के प्रा.पत्र 30.07.2001 के प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट पटवारी अनुशंषा पक्षकारों को नोटिस दे कर सुनवाई हेतु रखा था।

(e) पटवारी रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता मौके पर चालू (प्रचलित) बताया। किन्तु राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नहीं है। साथ ही पक्की सडक , रायसिंहनगर श्रीविजयनगर जहां रास्ता बना है वह कागजात पटवार में नहीं है तथा यह भी उल्लेख किया कि प्रार्थी के नाम खातेदारी भूमि नहीं है वरन् उसके दादा के नाम है। किन्तु प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी के पिता को बाहमी बंटवारे में उसके दादा ने भूमि का यह हिस्सा दिया था। उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका है। अतः स्वयं अब ढाणी बनाकर रहता है।

(f) यह तथ्य सभी स्वीकार करते है कि :–

(अ) प्रार्थी अपने दादा की भूमि पर ढाणी बना कर रहता है व भूमि दादा के नाम है।

(ब) प्रस्तावित चाहा गया रास्ता मौके पर प्रचलित है किन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

इस प्रकार प्रार्थी का प्रा.पत्र सिरे से खारिज करने के बजाए। उसके दादा की भूमि में तथ्यतः स्वीकार किया गया हक/भावी हक व मौजूदा प्रचतिल रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की मांग के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना जाना चाहिए था व लोक महत्व व आगामी विवादों की आशंका का भी ध्यान रखना चाहिए था।

(g) यदि यह मान भी लिया जावे कि प्रार्थी खातेदार नहीं है व उसे रास्ते की मांग करने का हक नहीं है तो भी यह तथ्य कि प्रचलित रास्ता है वह रिकार्ड में दर्ज नहीं। ऐसी स्थिति में राजस्व विभाग के इस सम्बन्ध में जारी 2016 के दिशानिर्देशों के अनुरूप मामला तहसीलदार की पहल पर निपटाया जाना चाहिए श्रेयस्कर है।

(h) यह "प्रचलित रास्ता था' अतः ना तो धारा 251ए आर.टी.एक्ट के तहत आता है, ना यह कभी बाधित किया गया बताया। अतः धारा 251 आर.टी.एक्ट के तहत भी नहीं आता। यह राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के तहत 2016 में जारी प्रचलित रास्तों को अमलदरामद करने का प्रकरण है जिसके लिये उपखण्ड अधिकारी सक्षम अधिकारी है।

(i) इस मामले में भूमि जिसमें से रास्ता गुजरता है वह शामिल खाते की है और विभाजन नहीं हुआ है व भूमि समय–समय पर दिगर व्यक्तियों को विक्रय भी की जा रही है। ऐसे में रास्तों के समुचित विकल्पों को बिना उनका प्रावधान किये बेचान या बाहमी बंटवारा किया गया तो अनावश्यक विवाद भविष्य में पैदा होगें।

(j) उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी का आदेश ना तो स्पीकिंग है , ना ही परिपक्व है। अतः उक्त आदेश निरस्त किया जाता है तथा चुंकि प्रकरण अनावश्यक रूप से 18 वर्षों से विचाराधीन है व प्रार्थी की मांग जायज है जैसाकि वह अपनी ढाणी तक आने–जाने में प्रचलित निर्बाध रास्ते का उपयोग करता है किन्तु वह राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। उसे राज्य सरकार के इस हेतु जारी दिशानिर्देशों के अनुसार दर्ज करने के आदेश दिया जाना उचित निपटारा है क्योंकि ऐसे रास्ते सुखाचार की हैसियत रखते हैं व उन्हें अकारण दर्ज करने से इन्कार करने से प्रकरण का मूल प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है। साथ ही पटवारी रिपोर्ट के अनुसार वह सडक रायसिंहनगर– श्रीविजयनगर जो पक्की है किन्तु कागजात पटवार में दर्ज नहीं है, उसे भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने क सम्बन्ध में जांच कर उचित आदेश विधितः जारी कराये।

(k) अपीलांट अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधि. न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण की जांच कर विधिअनुसार पुनः निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 19/12/14 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर